



नगर निगम, गोरखपुर

सफाई कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति की निविदा हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें-

- 1- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान से सफाई श्रमिक आपूर्ति हेतु सेवा शुल्क हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है। जो अनुबन्ध के दिनांक से 31 मार्च, 2018 तक मान्य होगी। संतोषजनक श्रमिक आपूर्ति एवं शासकीय नियमों के अनुपालन किये जाने की स्थिति में उभयपक्षों की सहमति से निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत आपूर्ति अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
- 2- श्रमिकों की संख्या अनुमानित है, जो घट या बढ़ सकती है। आपूर्ति वास्तविक आकलन के आधार पर प्राप्त की जायेगी।
- 3- तकनीकी प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) पृथक-पृथक लिफाफों में बन्द करते हुए तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर निविदा डाली जायेगी। तीनों लिफाफों के ऊपर क्रमशः तकनीकी प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) तथा बड़े लिफाफे के ऊपर सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- पूर्ण रूप से भरे हुए एवं यथा-स्थान हस्ताक्षरित तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा।
- 5- नियम एवं शर्तों सम्बन्धी प्रपत्र संख्या T-2 एवं T-3 पर निविदादाता का सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।
- 6- निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट, तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को श्रम कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम में पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीयन का प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में शपथपत्र मान्य नहीं होगा।
- 8- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को आयकर विभाग द्वारा स्थायी खाता संख्या (PAN) के प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 9- निविदादाता को तकनीकी प्रस्ताव के साथ जिलाधिकारी द्वारा जारी अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में शपथपत्र मान्य नहीं होगा।
- 10- पंजीकृत सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को किसी सरकारी/अर्ध सरकारी, स्थानीय निकाय में सफाई का कार्य कम से कम 30000 मानव दिवस श्रमिक की आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है। तकनीकी प्रस्ताव के साथ इस आशय का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 11- अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर कार्यादेश, अनुबन्ध आदि संलग्न किये जाने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
- 12- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को इस आशय का शपथपत्र तकनीकी प्रस्ताव का संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वह किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/गैर सरकारी संस्था में ब्लैक-लिस्टेड नहीं है।
- 13- यदि सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा संलग्न किये गये प्रपत्र जाँच के समय असत्य पाया जाता है तो सम्बंधित सेवाप्रदाता संस्था के प्रति अभियोग पंजीकृत करते हुये धरोहर धनराशि जब्त तथा ब्लैक लिस्ट कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 14- प्रपत्र संख्या T-3 पर उपलब्ध कराये जाने वाले कम से कम 100 श्रमिकों का विवरण तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 15- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में ₹0 1,00,000 (₹0 एक लाख मात्र) का एन0एस0सी0/एफू0डी0आर0 (लेखाधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में सत्यंकार धनराशि के रूप में संलग्न चेक/ड्राफ्ट/बैंकर चेकआदि मान्य नहीं होगा।
- 16- प्रपत्र संख्या F-1 पर सभी विवरण एवं बिन्दु संख्या-6 के स्तम्भ संख्या-6 से 9 तक में स्पष्ट अंकन करते हुए वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अपूर्ण/अस्पष्ट वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 17- निविदा में प्राप्त समान न्यूनतमसेवा शुल्क पर पर श्रमिक आपूर्ति हेतु सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान के मध्य कार्यो का आवंटन लाटरी पद्धति से किया जायेगा, जो तकनीकी प्रस्ताव में अर्ह पाये जायेगे।
- 18- कार्य आवंटित होने के पश्चात सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी श्रमिकों का नाम/पिता का नाम/पता/बैंक खाता संख्या सहित सूची वार्ड/कार्यवार उपलब्ध कराना होगा तथा अपनी फर्म/संगठन की ओर से पहचान-पत्र जारी करना होगा, जिसे सफाई कार्य के समय सम्बन्धित सफाई श्रमिक को धारण करने की बाध्यता होगी। श्रमिक परिवर्तित होने की दशा में निगम को तत्काल सूचित करना होगा।
- 19- प्रतिदिन निर्धारित संख्या में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को वार्ड/कार्यवार एक प्रतिनिधि नामित करना होगा।
- 20- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा आपूर्ति किये गये समस्त श्रमिकों को लेबर एक्ट के अनुसार समस्त सुविधाएं दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 21- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा नियुक्त सभी सफाई श्रमिकों का निर्धारित जीवन बीमा धनराशि एवं भविष्य निधि अंशदान नियमित रूप से जमा कराना अनिवार्य होगा।
- 22- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को सफाई कार्य के फलस्वरूप सम्भावित संक्रमण/बीमारियों से श्रमिकों के बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था करना होगा।
- 23- सम्बन्धित सफाई निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संतोषजनक सफाई कार्य प्रमाणित होने के उपरान्त ही मासिक भुगतान किया जायेगा।
- 24- गत माह किये गये भुगतान से श्रमिक के पारिश्रमिक का नियमानुसार भुगतान किये जाने एवं कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी बीमा की धनराशि प्रत्येक श्रमिक के खाते में नियमानुसार जमा कराये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
- 25- बिल के साथ सलग्न प्रपत्रों को स्वप्रमाणित किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। यदि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, एव नगर निगम, गोरखपुर निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगी।
- 26- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा श्रमिकों का भुगतान NEFT/RTGS से करना होगा, जिसका प्रमाणपत्र आगामी माह की बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 27- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को नगर निगम द्वारा NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। इसके लिए अनुबन्ध के समय निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराना होगा।
- 28- यदि सेवा-प्रदाता द्वारा शासकीय नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली समस्त देयताओं की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
- 29- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर देयक से दण्ड स्वरूप धनराशि कटौती किये जाने, अनुबन्ध निरस्त किये जाने एवं भविष्य के लिए निगम में कार्य करने से प्रतिबन्धित किये जाने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
- 30- निर्धारित शर्तों के अनुसार डाली गई निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
- 31- निविदा के माध्यम से न्यूनतम सेवा शुल्क के निर्धारण में शासकीय नियमों/मानकों के अनुपालन की स्थिति को ध्यान में रखा जायेगा।
- 32- निविदा/प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को एक सप्ताह के अन्दर सभी श्रमिकों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर यथा श्रमिकों का नाम, बैंक एकाउण्ट नं०, भविष्य निधि संख्या, ई०एस०आई० संख्या, अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त विवरण न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में सत्यंकार धनराशि जब्त करते हुए ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही की जाएगी।
- 33- निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर में निहित होगा।
- 34- किसी वाद की दशा में न्याय क्षेत्र गोरखपुर नगर होगा।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

रसीद/ड्राफ्ट संख्या -

दिनांक -

T-1



नगर निगम, गोरखपुर

सफाई कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी प्रस्ताव

- 1- सेवा प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान का नाम
- 2- सेवा प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान के पदाधिकारी का नाम व पद
- 3- स्थाई पता
- 4- मोबाइल/दूरभाष संख्या.....
- 5-ई-मेल
- 6- श्रम कार्यालय का पंजीकरण संख्या
- 7- कर्मचारी भविष्य निधि कोड संख्या
- 8- कर्मचारी राज्य बीमा कोड संख्या
- 9- आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन)
- 10- जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र का दिनांक
- 11-निविदा मूल्य जमा करने सम्बन्धी बैंक ड्राफ्ट का विवरण.....
- 12-श्रमिक आपूर्ति का अनुभव-

क्रम सं०	संस्था का नाम	अवधि	मानव दिवस
		योग कुल मानव दिवस	

नोट- तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रपत्र सं०-T-2,T-3एव T-4तथा उपरोक्त क्र० सं० 6 से 12 के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न करें। सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

दिनांक-

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पिता/पति का नाम.....

पता

.....



नगर निगम, गोरखपुर

सफाई कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय प्रस्ताव

- 1- सेवा प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान का नाम
- 2- सेवा प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान के पदाधिकारी का नाम व पद
- 3- स्थाई पता
- 4- मोबाइल/दूरभाष संख्या.....
- 5-ई-मेल
- 6- श्रमिक आपूर्ति हेतु दर-

क्र०सं०	कार्य का नाम	निर्धारित मजदूरी दर प्रतिदिन (प्रति श्रमिक) रू	कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) नियोक्ता अंशदान (13.36%)	कर्मचारी बीमा (ई.एस.आई.) (4.75%)	सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज)		कुल धनराशि प्रति श्रमिक (स्तम्भ 3,4,5,7, का योग)	
					(प्रतिशत में)	धनराशि रू० (मजदूरी X प्रतिशत)	धनराशि अंकों में	धनराशि शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सफाई कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति	रू० 259-04	रू० 34-60	रू० 12-30				

(*उपरोक्त स्तम्भ संख्या-6, 7, 8, एवं 9 में स्पष्ट अंकन किया जाय)

7- सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) का विवरण-

- क- धनराशि रू०.....
- ख- एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० संख्या.....
- ग- डाकघर/बैंक का नाम.....
- घ- जारी होने का दिनांक.....

दिनांक-

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पिता/पति का नाम.....

पता



नगर निगम, गोरखपुर

सफाई कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति की निविदा हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें-

- 1- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान से सफाई श्रमिक आपूर्ति हेतु सेवा शुल्क हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है। जो अनुबन्ध के दिनांक से 31 मार्च, 2018 तक मान्य होगी। संतोषजनक श्रमिक आपूर्ति एवं शासकीय नियमों के अनुपालन किये जाने की स्थिति में उभयपक्षों की सहमति से निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत आपूर्ति अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
- 2- श्रमिकों की संख्या अनुमानित है, जो घट या बढ़ सकती है। आपूर्ति वास्तविक आकलन के आधार पर प्राप्त की जायेगी।
- 3- तकनीकी प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) पृथक-पृथक लिफाफों में बन्द करते हुए तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर निविदा डाली जायेगी। तीनों लिफाफों के ऊपर क्रमशः तकनीकी प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) तथा बड़े लिफाफे के ऊपर सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- पूर्ण रूप से भरे हुए एवं यथा-स्थान हस्ताक्षरित तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा।
- 5- नियम एवं शर्तों सम्बन्धी प्रपत्र संख्या T-2 एवं T-3 पर निविदादाता का सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।
- 6- निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट, तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को श्रम कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम में पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीयन का प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में शपथपत्र मान्य नहीं होगा।
- 8- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को आयकर विभाग द्वारा स्थायी खाता संख्या (PAN) के प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 9- निविदादाता को तकनीकी प्रस्ताव के साथ जिलाधिकारी द्वारा जारी अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में शपथपत्र मान्य नहीं होगा।
- 10- पंजीकृत सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को किसी सरकारी/अर्ध सरकारी, स्थानीय निकाय में सफाई का कार्य कम से कम 30000 मानव दिवस श्रमिक की आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है। तकनीकी प्रस्ताव के साथ इस आशय का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 11- अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर कार्यादेश, अनुबन्ध आदि संलग्न किये जाने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
- 12- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को इस आशय का शपथपत्र तकनीकी प्रस्ताव का संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वह किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/गैर सरकारी संस्था में ब्लैक-लिस्टेड नहीं है।
- 13- यदि सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा संलग्न किये गये प्रपत्र जाँच के समय असत्य पाया जाता है तो सम्बंधित सेवाप्रदाता संस्था के प्रति अभियोग पंजीकृत करते हुये धरोहर धनराशि जब्त तथा ब्लैक लिस्ट कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 14- प्रपत्र संख्या T-3 पर उपलब्ध कराये जाने वाले कम से कम 100 श्रमिकों का विवरण तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 15- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में रू0 1,00,000 (रू0 एक लाख मात्र) का एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 (लेखाधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में सत्यंकार धनराशि के रूप में संलग्न चेक/ड्राफ्ट/बैंकर चेकआदि मान्य नहीं होगा।
- 16- प्रपत्र संख्या F-1 पर सभी विवरण एवं बिन्दु संख्या-6 के स्तम्भ संख्या-6 से 9 तक में स्पष्ट अंकन करते हुए वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अपूर्ण/अस्पष्ट वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 17- निविदा में प्राप्त समान न्यूनतमसेवा शुल्क पर पर श्रमिक आपूर्ति हेतु सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान के मध्य कार्यों का आवंटन लाटरी पद्धति से किया जायेगा, जो तकनीकी प्रस्ताव में अर्ह पाये जायेगे।
- 18- कार्य आवंटित होने के पश्चात सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी श्रमिकों का नाम/पिता का नाम/पता/बैंक खाता संख्या सहित सूची वार्ड/कार्यवार उपलब्ध कराना होगा तथा अपनी फर्म/संगठन की ओर से पहचान-पत्र जारी करना होगा, जिसे सफाई कार्य के समय सम्बन्धित सफाई श्रमिक को धारण करने की बाध्यता होगी। श्रमिक परिवर्तित होने की दशा में निगम को तत्काल सूचित करना होगा।
- 19- प्रतिदिन निर्धारित संख्या में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को वार्ड/कार्यवार एक प्रतिनिधि नामित करना होगा।
- 20- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा आपूर्ति किये गये समस्त श्रमिकों को लेबर एक्ट के अनुसार समस्त सुविधाएं दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 21- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा नियुक्त सभी सफाई श्रमिकों का निर्धारित जीवन बीमा धनराशि एवं भविष्य निधि अंशदान नियमित रूप से जमा कराना अनिवार्य होगा।
- 22- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को सफाई कार्य के फलस्वरूप सम्भावित संक्रमण/बीमारियों से श्रमिकों के बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था करना होगा।
- 23- सम्बन्धित सफाई निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संतोषजनक सफाई कार्य प्रमाणित होने के उपरान्त ही मासिक भुगतान किया जायेगा।
- 24- गत माह किये गये भुगतान से श्रमिक के पारिश्रमिक का नियमानुसार भुगतान किये जाने एवं कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी बीमा की धनराशि प्रत्येक श्रमिक के खाते में नियमानुसार जमा कराये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
- 25- बिल के साथ सलग्न प्रपत्रों को स्वप्रमाणित किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। यदि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, एव नगर निगम, गोरखपुर निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगी।
- 26- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा श्रमिकों का भुगतान NEFT/RTGS से करना होगा, जिसका प्रमाणपत्र आगामी माह की बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 27- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को नगर निगम द्वारा NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। इसके लिए अनुबन्ध के समय निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराना होगा।
- 28- यदि सेवा-प्रदाता द्वारा शासकीय नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली समस्त देयताओं की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
- 29- सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर देयक से दण्ड स्वरूप धनराशि कटौती किये जाने, अनुबन्ध निरस्त किये जाने एवं भविष्य के लिए निगम में कार्य करने से प्रतिबन्धित किये जाने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
- 30- निर्धारित शर्तों के अनुसार डाली गई निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
- 31- निविदा के माध्यम से न्यूनतम सेवा शुल्क के निर्धारण में शासकीय नियमों/मानकों के अनुपालन की स्थिति को ध्यान में रखा जायेगा।
- 32- निविदा/प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त सेवा-प्रदाता फर्म/गैर सरकारी संगठन/समिति/संस्थान को एक सप्ताह के अन्दर सभी श्रमिकों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर यथा श्रमिकों का नाम, बैंक एकाउण्ट नं०, भविष्य निधि संख्या, ई०ए०एस०आई० संख्या, अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त विवरण न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में सत्यंकार धनराशि जब्त करते हुए ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही की जाएगी।
- 33- निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर में निहित होगा।
- 34- किसी वाद की दशा में न्याय क्षेत्र गोरखपुर नगर होगा।

उपरोक्त शर्तें मुझे मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर



श्रमिकों का विवरण

क्र० सं०	श्रमिक का नाम	पिता का नाम	पता	लगभग उम्र (वर्ष)	फोटो (चस्पा किया जाय)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					

48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					

58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					

68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					

78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					

88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					

98					
99					
100					

निविदादाता के हस्ताक्षर